



## छात्रवृत्ति योजना

कक्षा 1ली से 12 वीं तक के विद्यार्थियों को देय छात्रवृत्ति योजना की जानकारी –

क्रं	योजना	कक्षा	वर्ग/लिंग	छात्रवृत्ति (10 माह) प्रति वर्ष रु	आय सीमा/पात्रता		
01	राज्य छात्र वृत्ति	3री से 5वी	ST/SC की बालिका	500	कोई आय सीमा नहीं		
		6वी से 8वीं	ST/SC की बालिका	800			
			ST/SC के बालक	600			
			OBC की बालिका	450	पालक/अभिभावक आयकर की सीमा में नहीं आते हो अथवा 10 एकड़ से अधिक भूमि न हो।		
		OBC के बालक	300				
02	प्री मैट्रिक	9वी से 10वी राज्य	OBC की बालिका	600	पालक/अभिभावक की वार्षिक आय रु 2.50 लाख से अधिक हो		
			OBC के बालक	450			
			ST/SC की बालिका	1000			
			ST/SC के बालक	800			
		9वी से 10वी केन्द्र	ST छात्रावासी	6250	पालक/अभिभावक की वार्षिक आय रु 2.50 लाख से अधिक न हो।		
			ST गैर छात्रावासी	3000			
			SC छात्रावासी	7000			
			SC गैर छात्रावासी	3500			
03	पोस्ट मैट्रिक	11वी से 12वी	ST छात्रावासी	3800	पालक/अभिभावक की वार्षिक आय रु 2.50 लाख से अधिक न हो।		
			ST गैर छात्रावासी	2300			
			SC छात्रावासी	4000			
			SC गैर छात्रावासी	2500			
		OBC के बालक बालिका				पालक/अभिभावक की वार्षिक आय रु 1.00 लाख से अधिक न हो।	
		छात्रावासी		गैर छात्रावासी			
		बालक	बालिका	बालक	बालिका		
		11 वी	1000	1100	500		600
		12 वी	1000	1100	550		700
04	कन्या साक्षरता	6वी	ST/SC की बालिका	500	कोई आय सीमा नहीं		
05	अस्वच्छ धंधा छात्रवृत्ति	ST/SC/OBC	छात्रावासी	गैर छात्रावासी	कोई आय सीमा नहीं। किंतु राजस्व से प्रति वर्ष व्यवसाय प्रमाण पत्र आवश्यक है।		
		1ली से 2री	NIL	3500			
		3री से 10वी	8000	3500			
टीप- 1. ST पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के अन्तर्गत विद्यार्थियों को उपरोक्त निर्धारित छात्रवृत्ति के अतिरिक्त शासन द्वारा निर्धारित स्थानीय निधी फंड के मदों के शुल्क की राशि का पुनर्भुगतान (Reimburse) भी किया जाता है।							
2. अस्वच्छ धंधा की छात्रवृत्ति के विद्यार्थियों को अन्य छात्रवृत्ति देय नहीं है।							
3. कक्षा 9वी से 10वी में प्रथम बार अनुतीर्ण विद्यार्थियों को राज्य छात्रवृत्ति के नामर्स अनुसार बालक/बालिका की दर से छात्रवृत्ति देय है।							